राधेश्याम बनाम लक्ष्मीचन्द

अपील संख्या : 2022/288

13.12.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री फिरोज आब्दी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया । अपील एडमिशन पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष ग्राम जटवाडी तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल 05 किता की रकबा 3.75 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया था । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर बिना कोई गौर किये मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 की पालना में उक्त आदेश की सूचना तत्काल प्रभाव से अपीलान्ट को नहीं दी गई । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे । हमने प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 06.12.2022 को लगभग 10 माह के विलम्ब से पेश की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.2022 का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में अपने आदेश में वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकार अर्थात् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उभयपक्षकारान को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है । उपर्युक्त परिस्थिति में यदि अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का शीघ्र निस्तारण चाहते हैं तो वे सीपीसी के प्रावधानों के तहत परीक्षण न्यायालय में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एडमिशन स्तर पर ही परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है । परीक्षण

न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई कर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.12.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा